उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

संख्या-69/2026/2013/77-6-2026-01(खिलौना नीति-2025)/2025

लखनऊ : दिनांक 17 सितम्बर, 2026

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के अन्तर्गत कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल **"उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025"** को प्रख्यापित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- "उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025" का प्रारूप **संलग्न** है।

संलग्नक : यथोक्त।

आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-69/2026/2013(1)/77-6-2026-01(खिलौना नीति-2025)/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र 0शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र 0शासन ।
4. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी 0।
5. समस्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र 0।
7. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र 0।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप।
9. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
10. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
11. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ।
12. समस्त अनुभाग, औद्योगिक विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
प्रेरणा शर्मा
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति –2025

1. पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में पारंपरिक खिलौना विनिर्माण की समृद्ध विरासत, सांस्कृतिक परंपरा एवं प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता विद्यमान है। राज्य में 230 से अधिक निर्यातोन्मुखी सूक्ष्म ,लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) संचालित हैं एवं लगभग 200 मिलियन उपभोक्ताओं की उपलब्धता, उत्तर प्रदेश को देश के सबसे विशाल उपभोक्ता बाजारों में से एक के रूप में स्थापित करता है। मेट्रो रेल, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, आईटी सिटी, आईटी पार्क, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, समर्पित विनिर्माण क्लस्टरों तथा औद्योगिक क्षेत्रों जैसे उपक्रमों के माध्यम से तीव्र औद्योगिकीकरण ने राज्य के समग्र विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया है।

प्रस्तावित खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति का उद्देश्य रोजगार की नवीन संभावनाएं सृजित करना, आयात के विकल्पों तथा उत्तर प्रदेश में विनिर्मित खिलौनों के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करना है।

वर्तमान में, खिलौना विनिर्माण इकाइयां मुख्यतः असंगठित रूप में संचालित हैं, जिससे इस क्षेत्र विस्तार सीमित रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का अभिप्राय अनिवार्य अवस्थापना समर्थन एवं अनुकूल वातावरण प्रदान कर राज्य में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय खिलौना विनिर्माण इकाइयों एवं सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है, जिससे निवेश एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

प्रस्तावित खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति उत्तर प्रदेश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र में अनुमन्य होगी, जिससे खिलौना उद्योग की वृद्धि को सुगम बनाया जा सके।

2. उद्योग का अवलोकन

2.1 वैश्विक परिदृश्य

वैश्विक खिलौना उद्योग, जिसका वर्तमान मूल्यांकन (2023)में 107.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसकी वर्ष 2028 तक 137.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक परिवर्धित होने की संभावना है, जो 5.2% की सुदृढ़ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर(CAGR) दर्शाता है। उपभोक्ता प्राथमिकताओं में निरंतर परिवर्तन के फलस्वरूप, इस क्षेत्र में स्टेम (STEM) आधारित शैक्षिक खिलौनों, सतत् एवं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की मांग में उल्लिखिय वृद्धि हो रही है, जो अब वैश्विक खिलौना विक्रय का 20% से अधिक भाग धारण करता हैं। वर्तमान में चीन वैश्विक खिलौना निर्यात में 70% से अधिक योगदान के साथ निर्विवाद वैश्विक अग्रणी बना हुआ है, जो कुल खिलौना निर्यात का करता है, इसके पश्चात् जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चेक गणराज्य एवं वियतनाम का स्थान है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं यूरोपीय संघ जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाएं उत्पाद सुरक्षा, रासायनिक अनुपालन तथा बाल-अनुकूल नवाचार पर विशेष बल देते हुए सख्त विनियामक रूपरेखा का क्रियान्वयन कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी एकीकरण जैसे एआर/वीआर (AR/VR), स्मार्ट खिलौने तथा डिजिटल गेमिंग अभिसरण पारंपरिक खेल की अवधारणाओं को पुनः आकार प्रदान कर रहे हैं।

2.2 भारत में खिलौना उद्योग

भारत, जो ऐतिहासिक रूप से विशेषकर चीन से खिलौनों के आयात पर निर्भर रहा है, वर्तमान में एक रणनीतिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। वर्ष 2022 में घरेलू बाजार का मूल्य लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अनुमानतः वर्ष 2028 तक 10-12% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से 2.73 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच जाएगा, जिससे यह विश्व के सबसे तेज़ी से बढ़ते खिलौना बाजारों में से एक बन गया है। आयात मात्रा, जिस पर कभी चीन का प्रभुत्वथा (लगभग 75% योगदान), लक्षित हस्तक्षेपों यथा उच्च आयात शुल्क (60% तक), अनिवार्य बीआईएस (BIS)प्रमाणन एवं खिलौना गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (2021) के फलस्वरुप उल्लेखनीय कमी हुई है। वर्ष 2013 से 2022 के मध्य, भारत के खिलौना निर्यात में 239% की वृद्धि हुई, जो वर्ष 2022 में लगभग 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया तथा प्रमुख निर्यात गंतव्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात एवं नीदरलैंड्स सम्मिलित हैं।

2.3 उत्तर प्रदेश में खिलौना उद्योग

झांसी (सॉफ्ट टॉयज) वाराणसी लकड़ी के खिलौने एवं गोरखपुर (टेरकोटा) जनपदों में पारंपरिक खिलौना विनिर्माण क्लस्टर हैं। इसके अतिरिक्त, नोएडा अपनी भौगोलिक स्थिति एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सहायक पारिस्थितिकी तंत्र से खिलौना आधारित विनिर्माण उद्योगों हेतु एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर रहा है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना, स्फूर्ति (SFURTI) योजना के अंतर्गत खिलौना क्लस्टरों का विकास तथा उत्तर प्रदेश में यीडा (YEIDA) टॉय पार्क जैसे समर्पित औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित कर रहे हैं। 'वोकल फॉर लोकल' को उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (PLI) में खिलौनों को सम्मिलित किए जाने की संभावनाएं आत्मनिर्भरता एवं वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा में नीतिगत परिवर्तन का संकेत देती हैं।

उत्तर प्रदेश विशेष रूप से खिलौना विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है, जो भारत के त्योहारों से संबंधित वस्तुओं (HS 9505) के निर्यात में लगभग 50% का योगदान करता है। वाराणसी, झांसी एवं चित्रकूट जैसे जनपद जीआई (GI) टैग प्राप्त लैकवेयर तथा हस्तनिर्मित लकड़ी के खिलौनों हेतु प्रसिद्ध हैं, जो कारीगरों, महिलाओं एवं ग्रामीण समुदायों हेतु महत्वपूर्ण रोजगार सृजित करते हैं। राज्य की अवस्थापना, प्रशिक्षण एवं निर्यात सक्षमता का एकीकरण समावेशी एवं कारीगर-नेतृत्व औद्योगिकीकरण का एक अनुकरणीय मॉडल प्रस्तुत करता है।

स्रोत-

1. स्टेटिस्टा (2024), वैश्विक खिलौना बाजार का आकार एवं पूर्वानुमान।
2. टॉय एसोसिएशन (2023), संयुक्त राज्य अमेरिका एवं वैश्विक उपभोक्ता ट्रेंड्स।
3. आईटीसी व्यापार मानचित्र (2023), देशवार वैश्विक निर्यात रैंकिंग।
4. स्टेटिस्टा (2024), भारत खिलौना बाजार मूल्यांकन एवं सीएजीआर(CAGR)।
5. एक्ज़िम बैंक ऑफ़ इंडिया (2024), एचएस कोड 9505 राज्यवार निर्यात हिस्सेदारी।

3. एक व्यापक खिलौना विनिर्माण नीति की आवश्यकता

वर्तमान में, यह उद्योग असंगठित रूप से संचालित हैं। उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु क्लस्टर आधारित विकास के दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो शैक्षिक खिलौनों, सिलिकॉन-आधारित अथवा

नवोत्पादित खिलौनों तथा स्थानीय रूप से डिज़ाइन किए गए खिलौनों जैसे विशिष्ट उत्पादों के सृजन की भी सुविधा प्रदान की जाएगी।

इस नीति का लक्ष्य क्लस्टरों के विकास को समर्थन करने हेतु है, जिससे उद्योग की व्यवस्थित प्रगति सुनिश्चित हो सके।

नीति की मुख्य विशेषताएं:

3.1 उत्पादन दर एवं विविधीकरण

(क) इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों एवं विशेषकर बैटरी से संचालित खिलौनों के वर्ग में, भारतीय खिलौना निर्माताओं की हिस्सेदारी बहुत निम्न है। इस प्रकार के अधिकांश खिलौने चीन से आयातित किए जाते हैं, जो वर्तमान में भारत के कुल खिलौना बाजार का लगभग 50% भाग है।

(ख) डिजाइन एवं नवाचार में उच्च निवेश की कमी के कारण भारतीय खिलौना निर्माता संगठित रूप से नए प्रकार के खिलौने विकसित करने तथा नए उत्पाद लॉन्च करने में असमर्थ हैं।

3.2 उत्पादन प्रक्रिया एवं डिज़ाइन

(क) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र के अधिकांश खिलौना निर्माताओं के पास अनुसंधान एवं विकास (R&D), प्रोटोटाइप विकास, एवंसीएडी/ सीएएम (CAD/CAM) उपकरण तथा अन्य सॉफ़्टवेयर आधारित प्रणालियों जैसे उचित व्यवस्था के साथ मिलकर उत्पादन प्रक्रिया में नवाचार हेतु योग्य डिजाइनरों तक पहुंच नहीं हैं।

(ख) नवीन प्रकार के खिलौनों की डिज़ाइन हेतु भारतीय खिलौना निर्माताओं को बाह्य पेशेवर डिज़ाइन सहायता की अत्यधिक आवश्यकता है। यद्यपि, वे आईआईटी (IIT), एनआईएफटी (NIFT), एनआईडी (NID)जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को व्यक्तिगत स्तर पर प्राप्त करने में संघर्ष करते हैं। ऐसे संस्थानों से डिज़ाइन सेवाएं प्राप्त करना उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है।

3.3 कच्चे माल की उपलब्धता

अधिकांश खिलौना विनिर्माता सामान्यतः प्रति ट्रक/कंटेनर कम मात्रा में प्लास्टिक का कच्चा माल क्रय करते हैं, जिसे वे बाजार से थोक में प्रत्यक्ष रूप से खरीदने में असमर्थ होते हैं।

परिणामस्वरूप, वे प्लास्टिक ग्रेन्यूल स्थानीय मध्यस्थ निर्माता अथवा व्यापारियों से क्रय करते हैं। वे सामग्री का आयात प्रत्यक्ष रूप से करने में सक्षम नहीं हैं एवं उन्हें खुले बाजार से कम मात्रा में, उच्च मूल्य पर सामग्री क्रय करने हेतु बाध्य होते हैं।

3.4 कुशल कार्यबल

भारत में, भारत में, खिलौना विनिर्माण उद्योग एवं खिलौना उत्पादकों को कुशल एवं प्रशिक्षित मानव संसाधन यथा-मशीन ऑपरेटर्स, मोल्ड डिज़ाइनर्स तथा निर्माताओं का अत्यधिक अभाव है। यह स्थिति उद्योग की स्थिरता एवं दीर्घकालिक संचालन में चुनौती प्रस्तुत करती है। सामान्यतः अधिकांश खिलौना निर्माता अल्प-कुशल अथवा अकुशल श्रमिकों को नियुक्त करते हैं तथा उन्हें प्रशिक्षण भी प्रदान करते हैं। इससे उत्पादन लागत में वृद्धि होती है एवं उत्पादन की गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है।

3.5 बाजार पहुंच

(क) अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेलों / प्रदर्शनियों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खिलौना निर्माताओं की प्रतिभागिता अत्यंत सीमित एवं चुनौतीपूर्ण है। इसलिए उनमें से अधिकांश लगभग(95%) अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेलों / प्रदर्शनियों में प्रतिभाग नहीं करते हैं। इससे भारतीय खिलौनों के निर्यात अवसर सीमित हो जाते हैं।

(ख) विपणन के संदर्भ में, अधिकांश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) खिलौना निर्माता अब तक अपनी वेबसाइट्स अथवा अन्य वेब पोर्टल्स के माध्यम से ऑनलाइन विपणन को अपनाया नहीं हैं, जबकि चीन इन चैनल्स के माध्यमों से खिलौना विपणन में प्रभुत्व बनाए हुए है। अतः इस क्षेत्र में भी ऑनलाइन विपणन को अपनाने की आवश्यकता है।

4. विज़न, मिशन एवं उद्देश्य

4.1 विज़न

- उत्तर प्रदेश के विकास हेतु खिलौना विनिर्माण एवं विपणन को एक प्रमुख विकास चालक के रूप में प्रोत्साहन देना, जिसमें कुशल, अर्ध-कुशल एवं अकुशल मानव संसाधन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
- नवाचार एवं उदीयमान प्रौद्योगिकियों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- राज्य एवं राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में संतुलित तथा समावेशी विकास में योगदान देने वाले कुशल अवस्थापना तथा सतत् समर्थन प्रणालियों का विकास करना।

4.2 मिशन

- राज्य में खिलौना विनिर्माण उद्योग की वृद्धि हेतु आवश्यक अवस्थापना उपलब्ध कराते हुए अनुकूल वातावरण का सृजन करना तथा उत्तर प्रदेश को खिलौना विनिर्माण में सर्वाधिक पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना।

- राज्य में खिलौनों के शोध एवं विकास, उत्पादन, डिजाइन, परीक्षण एवं विनिर्माण हेतु विश्व स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।

- राज्य के खिलौना क्लस्टरों में अतिरिक्त रोजगार के अवसरों का सृजन तथा कौशल विकास सुनिश्चित करना।

- उत्तर प्रदेश चर्म एवं फुटवियर नीति 2025 से प्रेरित होकर, इस नीति द्वारा खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में एंकर परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना।

4.3 उद्देश्य

- राज्य में खिलौना विनिर्माण इकाइयों तथा एंकर परियोजनाओं को प्रोत्साहित एवं स्थापित करना।

- राज्य में खिलौना विनिर्माण क्षेत्रों में अधिकतम निवेश आकर्षित करना।

- खिलौना विनिर्माण से संबंधित सहायक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना।

- राज्य में रोजगार के अवसर तथा उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना।

- पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सतत् एवं समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना।

- 'आत्मनिर्भर भारत'(Self-Reliant India) पहल को सुदृढ़ करना।

5. नीति के लक्ष्य एवं क्रियान्वयन रणनीति

5.1 नीति के लक्ष्य

- इस खिलौना विनिर्माण नीति का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को खिलौना विनिर्माण केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु प्रोत्साहन-आधारित रूपरेखा के माध्यम से खिलौना विनिर्माण इकाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

5.2 क्रियान्वयन रणनीति

- विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं प्रौद्योगिकी उन्नति हेतु भूमि एवं अवस्थापना की उपलब्ध कराना।

- पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड एवं मध्यांचल क्षेत्रों में उद्योग स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना।
- खिलौना विनिर्माण इकाइयों के निवेश हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना।

- नए उद्यमों की स्थापना में सहायता करना एवं एमएसएमई तथा वृहद् उद्योगों के साथ विद्यमान इकाइयों को समर्थन प्रदान करना।

5.3 प्रशासनिक नियंत्रण

- इस नीति के क्रियान्वयन का प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा किया जाएगा।

- यह प्रोत्साहन सूक्ष्म, लघु, मध्यम (एमएसएमई वर्गीकरण के अनुसार) एवं वृहद तथा उससे उच्च के श्रेणी में वर्गीकृत खिलौना विनिर्माण इकाइयों अथवा खिलौना क्लस्टर उद्यमों को प्रदान किया जाएगा।

मानदंड	सूक्ष्म उद्यम	लघु उद्यम	मध्यम उद्यम
संयंत्र एवं मशीनरी अथवा उपकरणों में निवेश	अधिकतम ₹2.5करोड़	अधिकतम ₹25करोड़	अधिकतम ₹125करोड़
टर्नओवर	अधिकतम ₹10 करोड़	अधिकतम ₹100 करोड़	अधिकतम ₹250 करोड़
पात्र निवेश अवधि (EIP)	यथा उत्तर प्रदेश लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति – 2022 के प्रस्तर 7.3 में परिभाषित		

वृहद एवं उससे उच्च श्रेणी की इकाइयाँ

मानदंड	वृहद एवं उससे उच्च श्रेणी की इकाइयाँ
स्थायी पूंजी निवेश में निवेश	₹125 करोड़ से अधिक
टर्नओवर	₹250 करोड़ से अधिक
पात्र निवेश अवधि (EIP)	4वर्ष

6. परिभाषाएं

6.1 खिलौने का अर्थ है "बालकों के खेलने की वस्तु" तथा बाल अधिकारों पर सम्मेलन के अनुच्छेद-1 के अनुसार, बालक का अर्थ है "प्रत्येक मानव जिसकी आयु अठारह वर्ष से कम हो, जब तक कि बालक पर अनुमन्य किसी क़ानून के अंतर्गत उसकी प्रौढ़ता इससे पूर्व प्राप्त न हो जाए। "नीति के अंतर्गत सम्मिलित खिलौनों की श्रेणियों की संकेतात्मक सूची निम्नलिखित है:

- गुड़िया, सॉफ्ट टॉयज)नरम खिलौने(।
- इलेक्ट्रॉनिक एवं बैटरी संचालित खिलौने, ऑगमैंटेड रिअलिटी (AR) एवं वर्चुअल रिअलिटी (VR) से संबंधित खिलौने।

- स्टेम (STEM)आधारित खिलौने, इंटरएक्टिव प्लश टॉय, पहेली एवं बुद्धि परीक्षण खिलौने।
- यांत्रिक खिलौने, सवारी वाले खिलौने।
- लकड़ी एवं टेराकोटा से निर्मित पारंपरिक खिलौने।

6.2 एंकर परियोजना:

एंकर परियोजना से अभिप्राय ऐसी परियोजना से है, जिसमें खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में न्यूनतम₹150 करोड़ की स्थायी पूंजी निवेश (Fixed Capital Investment) हो एवं निम्नलिखित विकल्पों में एक की पात्रता को पूर्ण करता हो:

(क) प्रति ₹1 करोड़ के निवेश पर 20 रोजगार।

(ख) इकाई का विदेशी खिलौना विनिर्माण कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम होना चाहिए तथा जिससे उनकी प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता, उत्पादन में वृहद स्तर पर विकास, नए बाजारों तक पहुंच आदि का लाभ प्राप्त किया जा सके।

6.3 वृहद एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजना हेतु स्थायी पूंजी निवेश

पात्र निवेश अवधि में भूमि, भवन, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण तथा अंतिम उत्पादन हेतु आवश्यक अन्य स्थायी भौतिक परिसंपत्तियों में किया गया निवेश **स्थायी पूंजी निवेश** के रूप में माना जाएगा। स्थायी पूंजी निवेश की गणना हेतु निम्नलिखित घटकों को सम्मिलित किया जाएगा:

(क) भूमि:

भूमि की लागत की गणना पंजीकृत विक्रय विलेख के अनुसार वास्तविक क्रय मूल्य के आधार पर किया जाएगा, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

यदि भूमि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) अथवा किसी अन्य राज्य सरकार की संस्था द्वारा आवंटित की गई हो तो भुगतान किए गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि भूमि किसी निजी पक्ष से पट्टे पर ली जाती है तो भुगतान किए गए वास्तविक

आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क को छोड़कर) माना जाएगा।

निजी पक्षों से पट्टे पर प्राप्त की गई भूमि के प्रकरण में पट्टा अवधि, पात्र प्रोत्साहन अवधि की समाप्ति के उपरांत न्यूनतम तीन वर्षों तक वैध होनी चाहिए।

(ख) भवन:

भवन से आशय उनसे है(जिसमें सेट्स भी सम्मिलित है) निर्मित भवनों, जो परियोजना हेतु अनिवार्य हों तथा वास्तव में उसी उद्देश्य से निर्मित किए गए हों:

- संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना हेतु निर्मित भवन।
- अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों हेतु निर्मित भवन।
- आंतरिक परीक्षण सुविधाओं हेतु निर्मित भवन।
- भंडारण एवं विनिर्माण गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूपसे संबंधित अन्य भवन।

(ग) संयंत्र एवं मशीनरी:

- संयंत्र एवं मशीनरी में उत्पादों के विनिर्माण में प्रयुक्त डाई, मोल्ड एवं अन्य मशीनरी सम्मिलित हैं।
- संयंत्र एवं मशीनरी की स्थापना एवं विद्युतीकरण की लागत भी सम्मिलित की जाएगी।
- विद्युतीकरण लागत में सभी स्टेशनों एवं ट्रांसफार्मर की लागत भी सम्मिलित होगी।

संयंत्र एवं मशीनरी के अंतर्गत निम्नलिखित व्यय भी सम्मिलित किए जाएंगे:

- अपारंपरिक ऊर्जा उत्पादन हेतु संयंत्र।
- कारखाना परिसर के भीतर आंतरिक परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहन एवं सामग्री संचलन हैंडलिंग उपकरण।
- विद्युत उत्पादन हेतु कैप्टिव विद्युत संयंत्र /सह-उत्पादन इकाइयां।
- जल उपचार हेतु संयंत्र।
- प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपकरण, जिनमें ठोस, द्रव अथवा गैसीय अपशिष्टों का संकलन, उपचार एवं निराकरण सम्मिलित हैं।

- सुरक्षा एवं अग्नि सुरक्षा प्रणाली।

(घ) अवस्थापना सुविधाएं:

अवस्थापना सुविधाओं में नवीन मार्ग, सीवर लाइनें, जल आपूर्ति प्रणाली, विद्युत लाइनें, रेलवे साइडिंग्स यदि इकाई के संचालन हेतु आवश्यक हो, सम्मिलित हो, जो प्रत्यक्ष रूपसे इकाई को मुख्य अवस्थापना नेटवर्क से जोड़ती हैं।

इसके अतिरिक्त, कैप्टिव ट्रीटमेंट संयंत्र (CTPs), कैप्टिव विद्युत संयंत्र (CPPs), ट्रांसफोर्मेर एवं विद्युत फीडर की स्थापना को भी अवस्थापना सुविधाओं में सम्मिलित किया जाएगा।

(ङ) **अपात्र पूंजी निवेश** में उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के 'संयंत्र एवं मशीनरी' मद के अंतर्गत उल्लिखित कैप्टिव उपयोग को छोड़कर; कार्यशील पूंजी; सद्भावना; प्रारंभिक एवं संचालन पूर्व व्यय; पूंजीकृत ब्याज; प्रौद्योगिकी/तकनीकी ज्ञान प्राप्ति हेतु पुस्तकों में पूंजीकृत व्यय; परामर्श शुल्क; रॉयल्टी; डिज़ाइन एवं मानचित्र; पेटेंट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर एवं बौद्धिक संपदा अधिकार; तथा विद्युत उत्पादन सम्मिलित हैं। उपरोक्त मदों को पूंजी निवेश की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(च) व्यक्तिगत खिलौना निर्माण उद्यमों हेतु, कुल स्थायी पूंजी निवेश में भूमि एवं भवन का अधिकतम पात्र घटक 30% तक सीमित रहेगा।

(छ) 'विस्तार /विविधीकरण' से आशय उन इकाइयों से है, जो निवेश की प्रथम तिथि को अपनी सकल ब्लॉक (Gross Block) में न्यूनतम 25% की वृद्धि, नवीन पूंजी निवेश के माध्यम से करती हैं; उदाहरणार्थ- विविधीकरण हेतु नवीन मशीनरी/संयंत्र का क्रय, नवीन उत्पादन लाइन की स्थापनातथा नवीन उत्पादन लाइन हेतु आवश्यक भूमि/भवन का क्रय करना। विस्तार/विविधीकरण परियोजनाओं के प्रकरणों में केवल वृद्धिशील निवेश ही प्रोत्साहनों हेतु पात्र होगा।

(ज) 'विविधीकरण' का अर्थ उस स्थिति से है, जब कोई विद्यमान औद्योगिक इकाई किसी पूर्णतः भिन्न उत्पाद (केवल विद्यमान उत्पाद का प्रकार नहीं) का विनिर्माण करती हैं।

7. **नीति अवधि एंव समीक्षा**

- उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण प्रोत्साहन नीति 2025, शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 5 वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
- नीति की क्रियान्वयन अवधि में, उत्तर प्रदेश सरकार प्राप्त परिणामों के आधार पर नीति के प्राविधानों की समीक्षा कर सकती है तथा आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा नए प्राविधान प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- खिलौना विनिर्माण इकाइयां जो इस नीति की वैधता अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेंगी अथवा इस अवधि में स्थायी पूंजी निवेश का प्रमाण प्रस्तुत करेंगी, वे इस नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होंगी।

8. **प्रोत्साहनः**

नीति के प्रस्तर 5.3 में परिभाषित लार्ज एवं उससे उच्च श्रेणी की खिलौना विनिर्माण इकाई हेतु निम्नलिखित प्रोत्साहन अनुमन्य होंगे।

8.1 वृहद एवं उससे उच्च श्रेणी के अंतर्गत खिलौना विनिर्माण इकाइयों हेतु वित्तीय प्रोत्साहनः

क्र.सं.	**विवरण**	**गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद**	**शेष उत्तर प्रदेश (गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर)**
8.1.1	पूंजीगत सब्सिडी	संयंत्र तथा मशीनरी पर 10 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹ 20 करोड़ तक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरांत 3 समान किस्तों में प्रदान की जाएगी।	संयंत्र एवं मशीनरी पर 30 प्रतिशत की पूंजीगत सब्सिडी, अधिकतम ₹ 35 करोड़ तक, वाणिज्यिक उत्पाद प्रारंभ होने के उपरांत 3 समान किस्तों में प्रदान की जाएगी।
8.1.2	स्टाम्प ड्यूटी	व्यक्तिगत खिलौना विनिर्माण अथवा सहायक इकाइयों की स्थापना हेतु स्टाम्प ड्यूटी प्रतिपूर्ति स्टाम्प ड्यूटी में छूट के रूप में प्रदान की जाएगी। इस छूट के अंतर्गत जनपद गौतम बुद्धनगर एवं	

		गाजियाबाद हेतु **'शून्य प्रतिशत'** तथा शेष उत्तर प्रदेश हेतु भूमि के क्रय अथवा पट्टे पर **100% स्टाम्प ड्यूटी छूट** प्रदान की जाएगी। न्यूनतम पट्टा अवधि अधिकतम स्वीकार्य प्रोत्साहन अवधि से 3 वर्ष अधिक होगी।
8.1.3	पेटेंट पंजीकरण प्रोत्साहन	अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन हेतु, घरेलू पेटेंट में वास्तविक फाइलिंग लागत का 75% (अधिकतम ₹5 लाख) तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट में ₹10 लाख तक की एकमुश्त पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
8.1.4	इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट	राज्य में स्थापित खिलौना विनिर्माण इकाइयों को 10 वर्षों तक इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी।
8.1.5	भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क से छूट	खिलौना विनिर्माण / सहायक इकाइयों की स्थापना हेतु भूमि उपयोग परिवर्तन शुल्क पर 100% छूट।
8.1.6	विद्युत टैरिफ सब्सिडी	लाइसेंसधारी कंपनी से विद्युत क्रय करने पर, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरांत 5वर्षों तक ₹2 प्रतियूनिट की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस सब्सिडी की अधिकतम सीमा₹ 60लाख प्रतिवर्ष प्रतियूनिट होगी। अपने स्वयं के कैप्टिव पावर प्लांट से उपभोग किए गए पावर अथवा ओपन एक्सेस के माध्यम से क्रय विद्युत, पावर टैरिफ सब्सिडी हेतु पात्र नहीं होगी।
8.1.7	कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESI) एवं कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) प्रतिपूर्ति (नियोक्ता योगदान)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरांत, उत्तर प्रदेश अधिवासी प्रोफेशनल्स को न्यूनतम निरंतर एक वर्ष की अवधि तक रोजगार प्रदान करने वाली इकाइयों को, उनके द्वारा वहन की गई कुल कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) राशि की 100% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति प्रति कर्मचारी अधिकतम ₹1000 प्रतिमाह तथा प्रति इकाई अधिकतम ₹5करोड़ की सीमा तक होगी।

<table>
<tr><td>8.1.8</td><td>विपणन (मार्केटिंग) प्रोत्साहन सब्सिडी</td><td colspan="2">देश के भीतर अथवा विदेशों में आयोजित मेलों/प्रदर्शनियों में सहभागिता हेतु स्टॉल शुल्क पर 75% प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी, जो देश के भीतर आयोजित प्रत्येक मेले में अधिकतम ₹50,000 तथा देश के बाहर आयोजित प्रत्येक मेले में अधिकतम ₹2,00,000 तक सीमित होगी।</td></tr>
<tr><td>8.1.9</td><td>गुणवत्ता एवं परीक्षण / बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो)प्रमाणन हेतु प्रोत्साहन</td><td>खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में, वाणिज्यिक संचालन के उपरांत संचालनरत इकाइयों में अनुपालन के प्रोत्साहन हेतु किए गए निर्यात ऑडिट अथवा समकक्ष परीक्षणों पर किएगए व्यय के सापेक्ष ₹1,00,000 प्रति इकाई प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।</td><td>खिलौना विनिर्माण क्षेत्र में वाणिज्यिक संचालन के उपरांत संचालनरत इकाइयों में अनुपालन के प्रोत्साहन हेतु किए गए निर्यात ऑडिट अथवा समकक्ष परीक्षणों पर हुए व्यय के सापेक्ष ₹1,50,000 प्रति इकाई प्रति वर्ष की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी।</td></tr>
<tr><td>8.1.10</td><td colspan="3">खिलौना उद्योग प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत निजी क्षेत्र में गुणवत्ता एवं परीक्षण मानकों को उन्नत करने हेतु अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा डिज़ाइन प्रयोगशालाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये इकाइयां आधुनिक अनुसंधान पर आधारित नए प्रोटोटाइप विकसित करेंगी तथा अनुमन्य उपयोग/विकास शुल्क की प्रतिपूर्ति के उपरांत इन प्रोटोटाइप्स, डिज़ाइन्स एवं पैटर्न्स को औद्योगिक इकाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा।

ऐसी इकाइयां निजी संस्थाओं, सरकारी क्षेत्रों अथवा तकनीकी महाविद्यालयों एवं डिज़ाइन संस्थानों के सहयोग से स्थापित की जा सकती हैं। राज्य के सभी खिलौना विनिर्माण इकाइयों तथा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं को एक पारस्परिक मंच पर लाया जाएगा, जिससे एक केंद्रीकृत खिलौना परीक्षण प्रणाली का निर्माण संभव होगा।

इन अनुसंधान एवं विकास तथा डिज़ाइन प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु नीति में उल्लिखित समस्त अनुमन्य प्रोत्साहन एवं सुविधाएं भी प्रदान किए जाएंगे।</td></tr>
</table>

नोट:

किसी भी इकाई को कुल स्थायी पूंजी निवेश के 100% से अधिक वित्तीय प्रोत्साहन प्राप्त नहीं होगा।

8.2 एंकर परियोजना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज

उपर्युक्त परिभाषित एंकर परियोजनाओं में स्थापित एंकर इकाइयों को औद्योगिक विकास प्राधिकरण से प्राप्त भूमि के संबंध में प्रस्तर 8.1 में परिभाषित लार्ज एवं उससे उच्च श्रेणी हेतु स्वीकार्य पैकेज के अतिरिक्त, निम्नलिखित फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी प्रदान की जाएगी:

(क) पश्चिमांचल (गौतमबुद्धनगर एवं गाजियाबाद को छोड़कर): **20%** की दर से भू-सब्सिडी।

(ख) मध्यांचल: **30%** की दर से भू-सब्सिडी।

(ग) बुन्देलखण्ड तथा पूर्वांचल: 40% की दर से भू-सब्सिडी।

फ्रंट-एण्ड-लैंड सब्सिडी प्राप्त करने वाली कम्पनियों अथवा संस्थाओं को राज्य के संबंधित औद्योगिक विकास प्राधिकरण (IDA) द्वारा आवंटित भूमि पर प्राप्त फ्रंट-एण्ड-लैंड सब्सिडी के समतुल्य राशि की बैंक गारंटी (BG) प्रस्तुत करनी होगी। बैंक गारन्टी संबंधित मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), औद्योगिक विकास प्राधिकरण (IDA) के पक्ष में बनाई जाएगी। बैंक गारंटी की बैधता अवधि 4 वर्ष अथवा वाणिज्यिक संचालन प्रारम्भ होने की तिथि (अर्थात् जिस दिन प्रथम विक्रय चालान/सेल इनवॉइस जारी किया जाए) तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

एंकर परियोजना के अंतर्गत सम्बद्ध इकाइयां प्रस्तर 8.1 के अनुसार प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी।

8.3 बायो प्लास्टिक/बायो डिग्रेडेबल से निर्मित खिलौनों हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज:

100% बायोडीग्रेडेबल प्लास्टिक /बायोप्लास्टिक से निर्मित खिलौनों का विनिर्माण करने वाली नवीन /विस्तार विविधीकृत खिलौना विनिर्माण इकाइयों को प्रस्तर 8.1 एवं 8.2 में

उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। यह प्रोत्साहन स्थायी पूंजी निवेश की 100% सीमा से 10% की कुल वृद्धि के रूप में प्रदान किया जाएगा।

9. नीति का क्रियान्वयन:

- इस नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नवीन उद्योगों को विभिन्न निवेश प्रोत्साहन, करों में छूट तथा विद्यमान उद्योगों को विस्तार प्रदान किया जाएगा।
- यह नीति प्रख्यापन की तिथि से आगामी पांच वर्षों की अवधि तक प्रभावी रहेगी अथवा सरकार द्वारा नवीन नीति के प्रख्यापन तक प्रभावी रहेगी।
- इन प्रोत्साहनों को प्रदान करने का लक्ष्य नवीन खिलौना विनिर्माण इकाइयों के साथ राज्य के भीतर विद्यमान इकाइयों का भी विस्तारविविधीकरण किया जाएगा।/
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग नोडल एजेंसी द्वारा इस नीति की वैधता अवधि में उपर्युक्त विस्तार एवं वित्तीय प्रोत्साहनों की राशि की नियमित समीक्षा की जाएगी तथा आवश्यकतानुसार निर्णय किये जाएंगे।
- ऐसी खिलौना विनिर्माण इकाई जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी के (एमएसएमई) अंतर्गत पात्र होगी, उसे 'उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति–2022' तथा उक्त नीति के निष्प्रभावी होने की स्थिति में उसकी उत्तरवर्ती नीति के अंतर्गत निर्धारित प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे।
- यदि कोई निवेशक बहु श्रेणियों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहनों हेतु पात्र है तो वह अपने चयन किए गए विकल्पानुसार केवल किसी एक श्रेणी के अंतर्गत ही प्रोत्साहन का पात्र होगा।
- लार्ज एवं उससे उच्च श्रेणी के अंतर्गत स्थापित नवीन इकाइयां तथा विस्तारविविधीकरण / वाली इस नीति के प्रस्तर करने 8.1, 8.2 एवं 8.3 के अनुसार प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी।
- पात्र खिलौना विनिर्माण इकाइयों को प्रस्तर 8.1.2, 8.1.5 एवं 8.2 के अंतर्गत फ्रंट-एंड सब्सिडी प्रोत्साहन के आरंभ होने पर प्रदान किए जाएंगे।
- प्रस्तर 8.1.1, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, एवं 8.1.10 के अंतर्गत देय प्रोत्साहन वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरांत प्रदान किए जाएंगे।
- विद्यमान खिलौना विनिर्माण इकाइयों के तकनीकी उन्नयन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

- क्षेत्रीय विषमताओं को निम्न करने हेतु, बुन्देलखण्ड एवं पूर्वांचल जनपदों में स्थापित इकाइयों को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों की दर राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में उच्च होगी।
- इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली परियोजनाएं राज्य सरकार की किसी अन्य नीति के अंतर्गत प्रोत्साहनों की पात्र नहीं होंगी। यद्यपि, इस नीति में निर्दिष्ट समस्त प्रोत्साहन भारत सरकार की किसी योजना/नीति के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों के अतिरिक्त रूप में प्राप्त किए जाएंगे।
- पात्र निवेश अवधि की गणना नीति की प्रख्यापन की तिथि से की जाएगी। इकाइयों को पात्र निवेश अवधि के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करना होगा। नवीन इकाइयों द्वारा पूर्व में किए गए भूमि में निवेश अथवा आंशिक निर्माण लागत को पात्र स्थायी पूंजी निवेश नहीं माना जाएगा। केवल नीति की प्रभावी अवधि में किए गए निवेश ही पात्र स्थायी पूंजी निवेश माना जाएगा।
- इस नीति के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई को ऑनलाईन माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक, अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाईन प्राप्त कर सकता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उद्योग निदेशालय की वेबसाइट को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाएगा। नीति के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाइयों को संबंधित जनपद के उपायुक्त(उद्योग) के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उपयुक्त द्वारा आवेदन का त्वरित मुल्यांकन कर(उद्योग) संस्तुतियों के साथ संबंधित मण्डल के संयुक्त आयुक्त(उद्योग) को अग्रेषित किया जाएगा। समस्त आवेदन संयुक्त मंडलायुक्त, उद्योग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। उक्त समिति के सदस्य संबंधित जनपदों के उपायुक्त (उद्योग) होंगे। इसके अतिरिक्त, समिति में मण्डल स्तर के विद्युत, प्रदूषण नियंत्रण, श्रम विभाग के अधिकारी तथा संबंधित जनपदों के लीड बैंक प्रबंधक सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। यदि आवश्यक हो, तो अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी समिति में सदस्य के रूप में आमंत्रित किया जाएगा।
- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति (State Level Empowered Committee) का गठन किया जाएगा। समिति में राज्य स्तर के बैंक तथा प्रदूषण नियंत्रण, विद्युत, श्रम, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, उत्तर प्रदेश

वित्तीय निगम (UPFC) इत्यादि विभागों के अधिकारी सदस्य के रूप में सम्मिलित होंगे। यदि आवश्यक हो, तो समिति में आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा अन्य विशेषज्ञों/विभागों को नामित किया जाएगा। उक्त समिति द्वारा वित्तीय दावों का तकनीकी मूल्यांकन, लाभों की गणना तथा तदनुसार सरकार से बजट की मांग करने हेतु अधिकृत होगी।

- लार्ज एवं उससे उच्च श्रेणी से संबंधित आवेदनों के मूल्यांकन हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0 के स्तर पर एक मूल्यांकन समिति का गठन किया जाएगा।
- इसके अतिरिक्त, लार्ज एवं उससे उच्च श्रेणी की खिलौना विनिर्माण इकाइयों की स्वीकृति एवं वितरण हेतु, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों को माननीय औद्योगिक विकास मंत्री की स्वीकृति हेतु अग्रेषित किया जाएगा।
- राज्य में खिलौना विनिर्माण इकाइयों का विकास क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाएगा। खिलौना उद्योग हेतु चिन्हित सामान्य अवस्थापना जैसे टूल रूम, परीक्षण प्रयोगशालाएं एवं अन्य आवश्यक सेवाओं/सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, इन सेवाओं/सुविधाओं को क्लस्टर क्षेत्र में निजी इकाइयों के माध्यम से व्यक्तिगत इकाइयों के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा तथा उपर्युक्त सभी अनुमन्य प्रोत्साहन भी प्रदान किए जाएंगे।
- उच्च स्तरीय समिति को प्रगति की समीक्षा करने एवं विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व होगा। आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग द्वारा संदर्भित प्रकरणों को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के माध्यम से समिति के समक्ष प्रस्तुत करके प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा।

10. विपणन समर्थन

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग (MSME) इस नीति के विपणन एवं ब्रांडिंग रणनीति तैयार करने का भी दायित्व संभालेगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे:

- राज्य में खिलौना उत्पादन एवं संबंधित योजनाओं तथा प्रोत्साहनों की एक सामान्य पहचान (common identity) के अंतर्गत ब्रांडिंग की जाएगी।

- नीति की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने हेतु फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI), पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंडइंडस्ट्री (PHDCCI)एवं भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)के साथ समन्वय स्थापित कर रोडशो, संगोष्ठियां (सेमिनार) एवं कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।
- राज्य में तथा अन्य राज्यों की तुलना में जागरूकता एवं ब्रांडिंग के प्रोत्साहन हेतु प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग किया जाएगा।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरपर आयोजित खिलौना मेलोंतथा प्रदर्शनियों में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी।
- सरकारी एवं डिजिटल वाणिज्य पोर्टलों से सम्बद्धता : बाज़ार तक सुलभ पहुंच सुनिश्चित करने हेतु, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा IEC गतिविधियों तथा संस्थागत समन्वय के माध्यम से उद्यमों को जेम (शासकीय ई-मार्केटप्लेस) पोर्टल, ओएनडीसी (वन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स) एवं अन्य ई-वाणिज्य मंचों से सम्बद्ध करने में सहयोग प्रदान किया जाएगा।

11. **संशोधन**

इस नीति में किसी प्रकार का संशोधन माननीय मंत्रिपरिषद् उत्तर प्रदेश सरकार के स्तर से किया जा सकेगा।

....